



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में चोरी करने की घटना कारित करने के आरोपी फरमान उर्फ बाबू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 01 वर्ष 10 माह 28 दिन के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



अवगत कराना है कि अभियुक्त फरमान उर्फ बाबू पुत्र इकबाल निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत के द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 153/2024 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 20.08.2026 को मा0 न्यायालय ग्रामीण न्यायालय बडौत जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त फरमान उर्फ बाबू को दोषी पाते हुए 01 वर्ष 10 माह 28 दिन के कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police





प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 26.08.2026

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त शौकीन को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान देवगोड रोड गुप्ता टाइल गोदाम के पास से एक अभियुक्त शौकीन पुत्र शमशाद अली को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 - 199/26 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित

किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. शौकीन पुत्र शमशाद अली निवासी पट्टी भुवाला (देव गौडा रोड) कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. म0उ0नि0 रविन्द्री थाना छपरौली।

2. हे0का0 440 राशिद थाना छपरौली।

3. रि०का० 107 अमन कुमार थाना छपरौली ।
4. रि०का० 237 अमित यादव थाना छपरौली ।
5. रि०का० 594 विकास थाना छपरौली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 26.08.26

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 601/26 धारा 70(2) बी.एन.एस. व 5k/6 पोक्सो एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 601/26 धारा 70(2) बी.एन.एस. व 5k/6 पोक्सो एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को दिनांक 26.08.2026 को गिरफ्तार किया गया है एवं थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

- 1-चरत उर्फ दीपांशु पुत्र विनोद निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत उम्र 19 वर्ष
- 2- प्रमोद उर्फ छोटू पुत्र जियालाल निवासी ग्राम नूनागर थाना साईनगर जिला पन्ना ,मध्यप्रदेश उम्र 21 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री मधुरश्याम थाना बडौत, बागपत
- 2-का० 133 गौरव थाना बडौत जनपद बागपत।

3-का0 418 परमजीत थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 26.08.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 561/26 धारा 109(1)/118(1)/352/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 25.08.26 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी शिवम पुत्र रामभूल निवासी अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ने प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तगण 1. रजत पुत्र दीपक 2. अर्जुन पुत्र दीपक 3. दीपक पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम नैथला थाना व जिला बागपत 4. एक अज्ञात द्वारा वादी को जान



से मारने की नियत से चाकू से हमला करना चाकू पेट में लगाना व गाली गलौच करना, जान से मारने की धमकी देना । इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 561/26 धारा 109(1)/118(1)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 561/26 धारा 109(1)/118(1)/352/351(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों 1. दीपक कुमार व 2. रजत को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. दीपक कुमार पुत्र ओमपाल उम्र करीब 39 वर्ष निवासी ग्राम नैथला थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत ।

2-रजत पुत्र दीपक उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम नैथला थाना कोतवाली बागपत जिला बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

2-है0का0 151 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

3-है0का0 652 मोहित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत

